संख्या-59/2016/942/सैंतीस-2-2016-1(2)/2013टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 मई, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27/सा0-एक/एक्स-120(7)/पा.क्ली.क्रिया./2016-17, दिनांक-12.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण' के निम्न मानक मदों में प्राविधानित रू0-1800 हजार (रूपये अठ्ठारह लाख मात्र) तथा पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-11-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र' में प्राविधानित धनराशि रू0-1000 हजार (रूपये दस लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	300
29-अनुरक्षण	200
39-औषधि तथा रसायन	500
42-अन्य व्यय	300
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500
योग-	**1800**

(रूपये अठ्ठारह लाख मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

4. योजनान्तर्गत फर्नीचर, उपकरण, सामग्री, औषधि आदि का क्रय करते समय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि योजनान्तर्गत क्रय ऐसी फर्मों से ही किया जाय जो जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत हों तथा विगत वर्ष तक जिनका आयकर रिटर्न व वैट टैक्स पूर्णरूपेण जमा हो।
5. मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही किया जाय।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण' की सुसंगत इकाईयों तथा लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-11-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-59/2016/942(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in